



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241354
CG-DL-E-23122022-241354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5781]
No. 5781]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/PAUSHA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6023(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. का. आ. 5358 (अ) दिनांक 23 दिसम्बर 2021 और शुद्धीपत्र का. आ. 1032 (अ) दिनांक 9 मार्च 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH4 के कि.मी. 771.73 से कि.मी. 782 (525, भूसम्पादन भवन, 2nd फ्लोर, सदर बाजार,) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30 दिसम्बर 2021" को " सकाळ" (मराठी) और "द टाइम्स ऑफ इंडिया" (इंग्रजी) और शुद्धीपत्र तारीख "23 मार्च 2022" को " पुढारी" (मराठी) और "द इंडियन एक्सप्रेस" (इंग्रजी) में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH4 के कि.मी. 771.73 से कि.मी. 782 (525, भूसम्पादन भवन, 2nd फ्लोर, सदर बाजार) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सातारा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: खंडाला				
	गांव का नाम: खंडाला				
1	836	निजी	एग्रिकल्चर	0.0300000	गणपत लक्ष्मण खंडागळे ()
	गांव का नाम: परगाओं				
2	80	निजी	एग्रिकल्चर	0.0700000	धनंजय छबनशेठ काळभोर, चंद्रकांत छबनशेठ काळभोर ()
3	82	निजी	एग्रिकल्चर	0.0500000	धनंजय छबनशेठ काळभोर, चंद्रकांत छबनशेठ काळभोर, संध्या छबनशेठ काळभोर, उषाताई छबनशेठ काळभोर ()
4	84	निजी	एग्रिकल्चर	0.0500000	शंकर बाबूराव कदम, भानुदास दाजीराम कदम, सतीश दाजीराम कदम, ()

5	89	निजी	एग्रिकल्चर	0.0500000	दशरथ भिकोबा गायकवाड, वाळासाहेब भिकोबा गायकवाड, कमलाकर दगडोबा गायकवाड, दिपक वसंत गायकवाड, मोहन दगडोबा गायकवाड, सुधाकर दगडोबा गायकवाड, संजय वसंतराव गायकवाड ()
6	90	निजी	एग्रिकल्चर	0.0400000	सुभाष रामचंद्र गायकवाड, शामराव रामचंद्र गायकवाड (90/1)
7	91	निजी	एग्रिकल्चर	0.0600000	बकाजीराव राजाराम पाटील ()
8	96	अन्य	एग्रिकल्चर	0.0900000	हेमंत बुवासाहेब जगतप (96/1/प्लॉट नो. 1)
9	96	अन्य	एग्रिकल्चर	0.0600000	रामदास भिवा नरुटे, महादेव भिकू नरुटे, लक्ष्मण धोंडीबा नरुटे, प्रकाश धोंडीबा नरुटे, संपत भिवा नरुटे, काशिनाथ भिवा नरुटे, भानुदास भिवा नरुटे, आदित्य महादेव यादव (96/2)
TOTAL				0.5	

[फा. सं. NHAI/PIU/Pune/KT/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2022

S.O. 6023(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 5358 (E), Date 23 December 2021 and Corrigendum S. O. 1032(E) Date 09 March 2022, both published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH4 on the stretch of land from Km. 771.730 to Km. 782.000 (Pune - Satara Section) Constructing New Six Lane Tunnel in Khambataki Ghat Section including approaches in the district of Satara in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Sakal" (Marathi) and "The Times of India" (English) both dated 30 December 2021 as well as Corrigendum in "Pudhari" (Marathi) and "The Indian Express" (English) Both dated 23 March 2022 was published in the daily Newspaper; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 771.730 to Km. 782.000 (Pune - Satara) of National Highway No. 4 for Khambataki Ghat Section including approach in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: Satara			
Sl. No.	Survey Number/ Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Khandala				
	Village: Khandala				
1	836	Private	Agriculture	0.0300000	Ganpat Laxman Khandagale
	Village: Pargaon				
2	80	Private	Agriculture	0.0700000	Dhananjay Chabansheth Kalbhor, Chandrakant Chabansheth Kalbhor
3	82	Private	Agriculture	0.0500000	Dhananjay Chanbansheth Kalbhor, Chandrakant Chabansheth Kalbhor, Sandhya Chabansheth Kalbhor, Ushatai Chabansheth Kalbhor
4	84	Private	Agriculture	0.0500000	Shankar Baburao Kadam, Bhanudas Dajiram Kadam, Satish Dajiram Kadam,
5	89	Private	Agriculture	0.0500000	Dasharath Bhikoba Gaikwad, Balasaheb Bhikoba Gaikwad, Kamlakar Dagdoba Gaikwad, Dipak Vasant Gaikwad,

					Mohan Dagdoba Gaikwad, Sudhakar Dagdoba Gaikwad, Sanjay Vasantrao Gaikwad
6	90	Private	Agriculture	0.0400000	Subhash Ramchandra Gaikwad, Shamrao Ramchandra Gaikwad 90/1
7	91	Private	Agriculture	0.0600000	Bakajirao Rajaram Patil
8	96	Common	Agriculture	0.0900000	Hemant Buvasaheb Jagtap 96/1/Plot No. 1
9	96	Common	Agriculture	0.0600000	Ramdas Bhiva Narute, Mahadev Bhiku Narute, Laxman Dhondiba Narute, Prakash Dhondiba Narute, Sampat Bhiva Narute, Kashinath Bhiva Narute, Bhanudas Bhiva Narute, Aaditya Mahadev Yadav 96/2
TOTAL				0.5	

[F. No. NHAI/PIU/Pune/KT/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director